

123  
26/11/2022

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर  
अवतार सिंह वगैरा बनाम ग्राम पंचायत मोहनपुरा व अन्य

निगरानी प्रकरण सं० 37/2022

अधिवक्ता निगरानीकर्ता :- श्री हरवीर सिंह बंसड अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता :-  
हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

तारीख हुकम नम्बर व तारीख 9825762400

21.11.2022	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21.12.2022 को पेश हो।	18/11/2022
21.12.22	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। अधिवक्ता रिपोर्ट पेश की। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21.12.2022 को पेश हो।	21/11/22
27/11/22	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। अधिवक्ता रिपोर्ट पेश की। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 27/11/22 को पेश हो।	27/11/22

बार सभ के तमाम कार्य स्थगित करने के कारण आज अधिवक्ता उपस्थित नहीं आ रहे हैं।  
पेटापीन अधिवक्ता  
है। पत्रावली दिनांक 27/11/22 को पेश हो।  
23 Oct

11  
12

21/11/22

27/11/22

27/11/22

27/11/22

27/11/22

13/5/24

पोटासीन अधिकारी अथकता प्रमाण पर  
कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अतिमापक उपस्थित  
है। पत्रावली दिनांक 03/4/24 को पेश है।

R

05/4/24

पोटासीन अधिकारी अथकता प्रमाण पर मुनीव  
कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अतिमापक उपस्थित  
है। पत्रावली दिनांक 05/4/24 को पेश है।

R

24/4/24

बारंबार के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण  
आज अतिमापक उपस्थित नहीं आ रहा है।  
पोटासीन अधिकारी अथकता प्रमाण पर मुनीव  
है। पत्रावली दिनांक 03/07/24 को पेश है।

R

03-05-24

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | वक्तव्य हेतु अवसर चाहिए।  
जो दिया गया। पत्रावली वास्तव में वक्तव्य दिनांक  
22.5.24 को पेश है।

✓

22-05-24

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | वक्तव्य हेतु अवसर चाहिए।  
जो दिया जाकर पत्रावली आयन्डा दिनांक 10-06-24  
को पेश है।

✓

10/6/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं  
स्वयं निगरानीकर्ता उपस्थित नहीं। अधिवक्ता निगरानीकर्ता  
एवं निगरानीकर्ता स्वयं को पृथक-पृथक समय पर रुक-रुक  
कर बार-बार आवाजे लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए  
। ऐसी स्थिति में निगरानी अदम हाजरी, अदम पैरवी में  
खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत  
को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे।  
पत्रावली फैंसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व  
बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।  
आदेश सुनाया गया।



अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर (राजस्थान)